सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 04, शुक्रवार, *शाके* 1947- सितम्बर 26, 2025
Asvina 04, Friday, Saka 1947- September 26, 2025

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, अगस्त 04, 2025

संख्या प. 2(13)वन/2025 :-चूंकि संलग्न अनुसूची में वर्णित वनभूमि एवं बंजर भूमि सरकार की सम्पत्तियॉ है या उनमें सरकार के स्वामित्व अधिकार है या उनकी सम्पूर्ण या आंशिक वन उपज पर सरकार का अधिकार है,

और चूंकि ऊपर कथित वनभूमि या बंजर भूमि को सरकार, राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप धारा (1) के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप में घोषित करने का विचार रखती है,

और चूंकि, पूर्वोक्त भूमि पर सरकार और निजी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा एवं स्वरूप अभी तक किसी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये है,

और चूंकि, सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वनभूमि या बंजर भूमि में या पर सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा एवं स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना एवं उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा कि इस प्रक्रिया के समाप्त होने तक सरकार के अधिकारों को क्षति पहुॅचाने की आशंका रहेगी।

अब इसलिए, राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं.13) की धारा 29 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वनभूमि या बंजर भूमि में या सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों की जॉच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है और ऐसी जांच, साक्ष्य एवं अभिलेख उस प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि इस अधिनियम की धारा 6, 7, 8,10,11 (2) ,12,13,14,17,18 एवं 19 में प्रावहित है।

और, इस अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राजस्थान सरकार ऊपर कथित जांच एवं अभिलेख के विचारार्थ रहते, कथित वनभूमि एवं बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति के द्वारा संरक्षित (protected) वन के रूप में घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी और न ही उन पर कोई विपरीत प्रभाव पडेगा।

और इस अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में सरकार यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से आरक्षित हो जावेंगे और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में पत्थर खोदना या चूना या लकडी का कोयला जलाया जाना अथवा किसी भी प्रकार की वन उपज का संग्रहण किया जाना या निष्कासन करना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि की खुदाई या कृषि हेतु या भवन निर्माण हेतु या मवेशी चराने या अन्य प्रयोजनार्थ वन की सफाई करना या वनभूमि को खण्डित किया जाना निषिद्ध करती है।

संलग्न - प्रथम अनुसूची (वन भूमि एवं बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बीजो जॉय),

विशिष्ट शासन सचिव(वन)।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि एवं बंजर भूमि)

क्र.स.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	दिशा	दिशावार सीमा विवरण	राजस्व ग्राम	विवरण		
							खसरा नंबर	क्षैत्रफल (हैक्टर)	भूमि किस्म
1.	बडायली नर्सरी	रियांबडी	नागौर	उत्तर	राजस्व ग्राम बडायली के खसरा नं 541 की भूमि	बडायली	29/3184	2.0200	गैर मु. नर्सरी
				दक्षिण	राजस्व ग्राम बडायली के खसरा नं.543 की भूमि				
				पश्चिम	राजस्व ग्राम बडायली के खसरा नं.541की भूमि				
				पूर्व	राजस्व ग्राम बडायली के खसरा नं. 541/1135 की भूमि				
							योग	2.0200	हैक्टर

(ममता जांगिड),
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
नागौर।

(विजय शंकर पाण्डेय),
उप वन सरंक्षक,
नागौर।

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

वनखण्ड बडायली नर्सरी

प्रस्तावित वनखण्ड मे आने वाली वनस्पतियो के वानस्पतिक नामो की सूची

क.स.	बोटनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	Prosopis cineraria	खेजड़ी
2	Vachellia nilotica	विलायती बबूल
3	Acacia tortlis	टोटलिस
4	Eucalypthus hybrida	सफेदा
5	Ailanthus excelsa	अरडू

(ममता जांगिड),
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
नागौर।

(विजय शंकर पाण्डेय),
उप वन सरंक्षक,
नागौर।

प्रमाण पत्र

वनखण्ड - बडायली नर्सरी

रेन्ज - नागौर

वनमण्डल- नागौर

1. प्रारूप में दर्शाई गई भूमि की प्रकृति राजस्व जमाबन्दी में उद्यान नर्सरी, वन विभाग के नाम से दर्ज है। इस भूमि पर वनविभाग द्वारा नर्सरी स्थापित की गयी है। यह क्षेत्र वर्तमान में वन विभाग के नाम अमल दरामद है।
2. विज्ञप्ति प्रपत्र में उल्लेखित भूमि वन विभाग के अधीन है। प्रस्तावित भूमि में कोई अतिक्रमण, खनन कार्य नही किये हुए है।
3. प्रस्तावित वन क्षेत्रो में समस्त क्षेत्र पूर्व से ही विभाग के अधीन है, जिस पर वृक्षारोपण स्थापित किया गया है एवं यह क्षेत्र वर्तमान में वन विभाग के नाम अमल दरामद है।
4. प्रस्तावित भूमि पर वृक्षो का घनत्व 0.05 से 0.10 तक का है एवं इन क्षेत्रो में मुख्य टोटलिस,खेजड़ी ,अरडू, शीशम, देशी बबूल एव अन्य मिश्रित प्रजातियों के पेड एवं झाडिया है।
5. प्रस्तावित क्षेत्र की समस्त भूमि वनविभाग के अधीन है तथा समीपवर्ती खातेदारी भूमिया वन सीमाओं से पृथक है एव इससे प्रस्तावित वन क्षेत्रो के संरक्षण में कोई अवरोध नही होगा। विभागाधीन भूमियो का विकास कार्यो मे उपयोग हो रहा है।
6. प्रस्तावित भूमियो का मानचित्र संलग्न है।
7. पूर्व में खसरावार भूमि का मौके पर सुविज्ञ रूप से सीमाज्ञान नही होने कारण अधिसूचना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नही किये जा सके थे किन्तु अब सीमाज्ञान के पश्चात नये प्रस्ताव बनाये जाकर प्रेषित किये जा रहे है।
8. इस वनभूमि का पूर्व में राजपत्र मे प्रकाशन नही हुआ है।

(ममता जांगिड),
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
नागौर।

(विजय शंकर पाण्डेय),
उप वन सरंक्षक,
नागौर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।